

सं०: डब्ल्यू-11044/02/2012-जल ॥ (पार्ट)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

8वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक: 15/05/2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल।

विषय: राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड पर वीडियो कांफ्रेंस(वीसी)

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषयक एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली पेयजल आपूर्ति विभाग साइटिस्ट-सी से प्राप्त ई-मेल दिनांक 07/05/2014 को भेजने का निदेश हुआ है।

2. यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड(एनसीईएफ) के अधीन आईएपी जिलों में 10,000 ग्रामीण बसावटों में डुआल पम्प-सोलर पावर्ड पाइपड वाटर सप्लाई स्कीम के स्टेटस की समीक्षा करने के लिए दिनांक 19/5/2014 को एक वीडियो कांफ्रेंस(वीसी) का आयोजन किया जाए:-

19.05.2014 02.15 शाम को (1:00 घंटे)	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड पर राज्य पीएचईडी सचिवों के साथ संयुक्त सचिव(जल) की बैठक	1. आंध्र प्रदेश 2. बिहार 3. झारखंड
19.05.2014 03.15 शाम को (1:30 घंटे)	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा फंड पर राज्य पीएचईडी के साथ संयुक्त सचिव(जल) की बैठक	1. मध्य प्रदेश 2. महाराष्ट्र 3. ओडीसा 4. उत्तर प्रदेश 5. पश्चिम बंगाल

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त वीसी में व्यक्तिगत रूप से भाग लें अथवा राज्य के संबंधित इंजीनियर-इन-चीफ/मुख्य अभियंता को नामित करें।

सादर,

भवदीय

(ए.के. श्रीवास्तव)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

सुश्री गीता ठाकुर, साइंटिस्ट-सी,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
एनआईसी-मुख्यालय,
नई दिल्ली को कार्यवाही एवं वेबसाइट पर डालने के लिए।